संख्या-61/2015/1566/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 जून, 2015

विषय- गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत नव निर्मित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (इण्टरमीडिएट स्तर) के संचालन हेतु साज-सज्जा की धनराशि पी0एल0ए0 से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-158-59/स0क0/विकास/पी0एल0ए0/2015, दिनांक-14-5-2015 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-22/2015/943/26-3-2015 दिनांक-31-03-2015 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत नव निर्मित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु साज-सज्जा के लिये पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल धनराशि रूपया-07,66,86,000/-(रूपया सात करोड़ छाछठ लाख छियासी हजार मात्र) आहरित करके प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम) के पी0एल0ए0 में रखी गयी है।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1- नव निर्मित 09 आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु आवश्यक साज-सज्जा एवं उपकरणों का क्रय, स्टोर पर्चेस रूल्स, के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार किया जायगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायगा। किसी भी प्रकार की विचलन/अनियमितता की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराया जायगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-787/दस-2015, दिनांक 03 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-61/2015/1566/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मुख्यकोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट, कैसरबाग लखनऊ।

3 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ

4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5 प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ।

6 निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

7 गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।